न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या:– 157/2014 निर्णय दिनांक :– 23.03.2022

उनवानी दावा :

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री अशोक कुमार जाति बैरवा निवासी टोंक राज0
2. मोहित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति बैरवा निवासी टोंक राज0
3. उर्वशी पुत्री श्री अशोक कुमार जाति बैरवा निवासी जाटा पाडा टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार जी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री भगवान सिंह सोलंकी
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण द्वारा पेश वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख0नं0 520 रकबा 2 बीघा हाल ख0नं0 760/1453 रकबा 0.32 है0, वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजीयात में से वादीगण के पिता ने पेट्रोल पम्प लगाने के लिए 40 X 40 गज भूमि {0.13 है0 भूमि} राज्य सरकार को समर्पित कर दी थी जिसको प्रतिवादी सं0 1 श्रीमान् जिला कलेक्टर टोंक द्वारा वादीगण के पति/पिता स्व0 अशोक कुमार के नाम से पेट्रोल पम्प के नाम से आवंटित कर दी गई थी जिस पर आज भी पेट्रोल पम्प लगा हुआ है। स्व0 अशोक कुमार जी ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में से 1600 वर्गगज भूमि ही समर्पित की थी तथा शेष भूमि को अपनी खातेदारी में ही रखी थी किन्तु देवली तहसील में उस समय सेटलमेंट का कार्य चल रहा था। इस कारण श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटित भूमि 1600 वर्ग गज जो वादीगण के पति/पिता द्वारा समर्पित की गई थी उस बाबत् आदेश पारित किया गया था किन्तु उक्त आदेश की पालना सही रूप से नही करके सेटलमेंट कर्मचारियों ने गलत रूप से सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि 2 बीघा को राज्य सरकार के नाम सिवायचक दर्ज कर दी गई है। जो त्रुटिपूर्ण अंकन है सेटलमेंट अधिकारी एवं कर्मचारियो को स्व0 अशोक कुमार की खातेदारी की भूमि को बिना किसी आदेश एवं डिक्री

के सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि को सिवायचक दर्ज कर देने के कारण उन्हे काफी नुकसान हो रहा है तथा वे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करने से वांछित हो गये है तथा प्रतिपक्षी नं0 2 द्वारा उक्त भूमि के बाबत् अनावश्यक पैन्लटी राशि अधिरोपित की जाती है जबकि उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है। वादीगण स्व0 अशोक कुमार के विधिक उत्तराधिकारी है। अशोक कुमार की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त वाद वादीगण ने स्व0 अशोक कुमार के उत्तराधिकारी होने से यह वाद पेश किया है। वादीगण की भूमि को गलत रूप से खातेदारी से सिवायचक अंकित कर देने के कारण वादीगण द्वारा उक्त वाद पेश कर आराजी ख0नं0 साबिक 520 रकबा 2 बीघा हाल ख0नं0 760/1453 रकबा 0.32 है0 भूमि को अपनी खातेदारी में उद्घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण को उपरोक्त भूमि का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे एवं तद्नुसार वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। बिनाय दावा आज से लगभग 2 माह पूर्व पैदा हुआ जब वादीगण ने अपनी भूमि की राजस्व रिकार्ड की नकले हल्का पटवारी से प्राप्त की एवं उन्हे उक्त भूमि सिवायचक दर्ज होने पर प्रतिवादीगण को 2 माह का नोटिस धारा 80 सीपीसी का देने से तथा नोटिस की अवधि समाप्त होने से आज तक लगातार वाद कारण उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है उक्त नोटिस वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.03.2014 को दिया जा चुका है तथा 2 माह का समय समाप्त होने के पश्चात् उक्त वाद पेश किया जा रहा है। तहसीलदार जी दूनी लेण्ड होल्डर होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार दूनी ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– वाद पत्र की चरण संख्या 1 आंशिक रूप से स्वीकार है साबिक ख0नं0 520 रकबा 2.00 बीघा के नये ख0नं0 760/1453 रकबा 0.32 है0 बने है। पत्रावली में संलग्न आदेशों की छायाप्रति के अनुसार जिला कलेक्टर महोदय के आदेश पत्रांक 3891 दिनांक 18.10.86 से ख0नं0 520/2 रकबा 2 बीघा (0.32) है0 समर्पित की जाकर पेट्रोल पम्प हेतु आवंटन की गई है तथा संशोधित आदेश पत्रांक 2529 दिनांक 10.07.91 से ख0नं0 520/2 रकबा 2 बीघा भूमि में से 40 X 40 वर्ग गज अर्थात 1600 वर्ग गज भूमि समर्पित होने पर पेट्रोल पम्प हेतु आवंटन की गई है। जिस पर पेट्रोल पम्प स्थापित है। वाद पत्र चरण संख्या 2 आंशिक रूप से स्वीकार है। संशोधित आदेश के अनुसार 40 X 40 कुल 1600 वर्गगज भूमि ही समर्पित की गई थी। बंदोबस्त द्वारा पूर्व आदेश 18.10.86 की पालना में सम्पूर्ण भूमि समर्पित मानते हुए खातेदारी से कम की गई है। वाद पत्र चरण संख्या 3 सिवायचक दर्ज किया जाना स्वीकार है। वाद पत्र चरण संख्या 4 स्वीकार है। वाद पत्र चरण संख्या 5 आंशिक रूप से स्वीकार है। पूर्व आदेशों की पालना में सिवायचक दर्ज की गई है। संशोधित आदेश की पालना में नहीं की

गई है। वाद पत्र चरण संख्या 6 कानूनी है। वाद पत्र चरण संख्या 7 कानूनी है। वाद पत्र चरण संख्या 8 कानूनी है। वाद पत्र चरण संख्या 9 कानूनी है। वाद पत्र चरण संख्या 10 कानूनी है।

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी मोहित कुमार ने बयान गवाह दिनांक 22.11.18 को करवाये। अपने बयान में वादी ने वाद के तथ्यो को ही दोहराते खातेदारी प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए विवादित आराजी पर कब्जा काश्त स्वयं का बताया। वादी ने प्रदर्श–करवाये जो इस प्रकार हैः–नक्शा शीट प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्तव 2070–73 प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावारी प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–4, पर्चा सेटलमेंन्ट प्रदर्श–5, भू–प्रबन्धक खसरा प्रदर्श–6, नकल नक्शा पेट्रोल पम्प प्रदर्श–7, नकल नोटिस प्रदर्श–8, नकल पोस्ट ऑफिस प्रदर्श–9 से 11 है।

वादी द्वारा और अधिक साक्ष्य नहीं कराये जाने से साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार दूनी द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस पेश की जो इस प्रकार हैः–

वादीगण से श्रीमान् न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती इन्द्राज का वाद पेश इस आशय से किया कि वादीगण सं0 02 व 03 के पिता तथा वादी सं0 01 के पति स्व0 अशोक कुमार बैरवा पुत्र स्व0 लालूराम बैरवा निवासी जाटा पाडा पुरानी टोंक के निवासी है जिनके आराजी ख0नं0 520 रकबा 2 बीघा (0.32 है0) वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। जिसका हाल ख0नं0 760/1453 है। स्व0 अशोक कुमार बैरवा ने हाल ख0नं0 760/1453 रकबा 0.32 है0 भूमि में से 40 X 40 = 1600 वर्गगज अर्थात 0.13 एयर राज्य सरकार को पेट्रोल पम्प के लिए समर्पित की थी जिला कलेक्टर टोंक द्वारा समर्पित भूमि को स्वीकार कर स्व0 अशोक कुमार के नाम पेट्रोल पम्प आवंटित कर दिया था। जिला कलेक्टर आदेश क्रमांक 3891 दिनांक 18.10.1986 की पालना में सहायक भू–प्रबंधक अधिकारी द्वारा साबिक ख0नं0 520 रकबा 2 बीघा (0.32 है0) भूमि को राज्य सरकार के हित में दर्ज कर दी थी। सम्पूर्ण भूमि के राज्य सरकार द्वारा सिवायचक दर्ज होने पर श्री अशोक कुमार बैरवा पुनः एक प्रार्थना पत्र पेश कर 0.32 है0 में से केवल 0.13 है0 भूमि को ही पेट्रोल पम्प हेतु समर्पित किया। श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय ने स्व0 श्री अशोक कुमार बैरवा द्वारा पुनः पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर समर्पित भूमि के आदेश में संशोधन किया तथा संशोधित **आदेश क्रमांक 2529 दिनांक 10.07.1991** जारी किया जिसको निर्दर्शित किया कि श्री अशोक कुमार बैरवा द्वारा पूर्व में समर्पित भूमि ख0नं0

520 रकबा 2 बीघा (0.32 है0) में से 13 है0 भूमि अर्थात 40 X 40 = 1600 वर्गगज भूमि राज्य सरकार को पेट्रोल पम्प बाबत् समर्पित कर बाकी शेष बची हुई भूमि 0.19 है0 पूर्व की भांति यथावत रहे। श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा पारित संशोधित **आदेश क्रमांक 2529 दिनांक 10.07.1991** की आज दिन तक पालना नही की गई है जिसकी पालना हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय देवली को कई बार सूचित किया तथा प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें पटवारी हल्का रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का रिपोर्ट **दिनांक 22.12.2016** के चरण सं0 1 में साबिक ख0नं0 520 रकबा 2 बीघा (0.32 है0) से हाल ख0नं0 760/1453 रकबा 2 बीघा (0.32 है0) होना स्वीकार किया तथा चरण सं0 5 में यह भी स्पष्ट किया कि **श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय आदेश पत्रांक 3891 दिनांक 18.10.1986** की पालना में 0.32 है0 भूमि को राज्य सरकार हितार्थ समर्पित स्वीकार किया तथा संशोधित आदेश पत्रांक 2529 दिनांक 10.07.1991 में दिये गये निर्देश 0.32 है0 में से 0.13 है0 अर्थात 40 X 40 या 1600 वर्गगज में समर्पित रहे तथा शेष भूमि 0.19 है0 पूर्व की स्थिति में यथावत रहे कि पालना आज दिनांक तक नही की गई। उपरोक्त संशोधन बाबत् स्व0 अशोक कुमार बैरवा ने कई बार उज्रदारी पेश की तथा **श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के संशोधित आदेश पत्रांक 2529 दिनांक 10.07.1991** की पालना करनी चाही किन्तु दिनांक 01.05.2012 को वादी सं0 1 के पति तथा वादी सं0 02 व 03 के पिता की मृत्यु हो गई जिसके पश्चात् उपरोक्त सभी तथ्यों की जानकारी वादीगण को होने पर श्रीमान् न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। श्रीमान् न्यायालय के समक्ष **श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के पूर्व आदेश पत्रांक क्रमांक 3891 दिनांक 18.10.1986** की प्रति पेश है जिसके द्वारा वादीगण की आराजी ख0नं0 760/1453 रकबा 0.32 है0 अथवा 2 बीघा को सम्पूर्ण सिवायचक पेश किया तथा **श्रीमान् के संशोधित क्रमांक 2529 दिनांक 10.07.1991** जिसमें हाल ख0नं0 760/1453 रकबा 0.32 है0 में से 0.13 है0 40 X 40 या 1600 वर्गगज पेट्रोल पम्प आवंटन हेतु समर्पित तथा शेष 0.19 है0 पूर्व की स्थिति में यथावत के आदेश जिसकी पालना आज दिनांक तक नही की गई। **श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 22.12.2016** भी पेश है जिसके चरण नं0 1 में **श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय आदेश क्रमांक 3891 दिनांक 18.10.1986** की पालना की गई तथा चरण नं0 5 यह भी स्पष्ट किया कि उक्त भूमि पत्र **श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा संशोधित आदेश पत्रांक 2529 दिनांक 10.07.1991** जारी किया जिसकी पालना आज दिनांक तक नहीं की गई है। वादी संख्या 01 द्वारा श्री अशोक कुमार बैरवा आवंटी की मृत्यु होने पर आवंटित भूमि की लीज मृतक (आवंटी) के वारिसान समस्त वादीगण निर्मला देवी (पत्नी) मोहित कुमार, (पुत्र) उरर्वशी (पुत्री) के नाम हस्तान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर **श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के पत्रांक एफ–7(4) राजस्व/रूपा/10/2550–54 दिनांक 24.03.2017 को आदेश जारी किया जिसमें संशोधित आदेश पत्रांक 2529 दिनांक 10.07.1991 की पालना में हाल ख0नं0 760/1453 रकबा 2 बीघा (0.32 है0) में से 0.13 है0 40 X 40 = 1600 वर्गगज भूमि** को संपरिवर्तन

Bidhar

कर आवंटन लीज आवंटी की मृत्यु होने से आवंटी के वारिसान समस्त वादीगण निर्मला देवी, (पत्नी) मोहित कुमार, (पुत्र) उरर्वशी (पुत्री) के नाम दर्ज की गई। उपरोक्त सभी दस्तावेजो साक्ष्यों तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि **श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के संशोधन पत्रांक आदेश क्रमांक 2529 दिनांक 10.07.1991** की पालना नही की गई जिसमें वादीगण की सम्पूर्ण भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसका कोई विधिक अधिकार नही है। आज भी उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाये।

तनकीवार निर्णयः–

तनकी नं. 1:–आया वादीगण के पिता की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 520 रकबा 2 बीघा हाल ख. नं. 760/1453 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम सरोली में से पेट्रोल पम्प लगवाने के लिए 1600 वर्ग गज अर्थात 0.13 है0 भूमि राज्य सरकार को समर्पित की थी, शेष भूमि अपनी खातेदारी में रखी थी? –वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। प्रदर्श–6 संशोधन भू–माप सम्वत 2051 के अनुसार ख. नं. 520 रकबा 2 बीघा अशोक कुमार पिता लालूराम बैरवा सा. टोंक खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 520 रकबा 2 बीघा से ख. नं. ख. नं. 760/1453 रकबा 0.32 है0 बनाये गये है। प्रदर्श–2 के अनुसार ख. नं. 760/1453 रकबा 0.32 है0 को सिवायचक काबिल काश्त दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 के अनुसार ख. नं. 760/1453 रकबा 0.32 है0 बंजड़ में पेट्रोल पंप एवं खरीफ की फसल दर्शाया गया है। प्रदर्श–5 अनुसार के अनुसार ख. नं. 760/1453 रकबा 0.32 है0 भूमि को श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक के आदेशानुसार राज्य सरकार को समर्पित की थी। पत्रावली में संलग्न प्रमाणित प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक के संशोधित आदेश कमांक एफ 7(4) राजस्व/86/2529 दिनांक 10.07.91 के अनुसार ख. नं. 520/2 रकबा 2 बीघा भूमि में से 40 X 40 = 1600 वर्ग गज अर्थात 1600 वर्ग गज भूमि को ही राज्य हित में वादीगण के पिता/पति अशोक कुमार ने पेट्रोल पम्प आवंटन हेतु समर्पित की गई है। प्रदर्श–7 में श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक द्वारा दी गई 1600 वर्ग गज भूमि का ब्ल्यू प्रिंट है। उक्त रिकॉर्ड के विश्लेषण से स्पष्ट यह तथ्य सामने आते है कि खातेदार अशोक कुमार ने सहवन से पूर्व में पेट्रोल पंप आवंटन के लिए ख. नं. 760/1453 रकबा 0.32 है0 बंजड़ में पेट्रोल पंप के लिए सरकार को समर्पित कर दी थी जिसको बाद में श्रीमान जिला कलेक्टर के संशोधित आदेश से कमांक एफ 7(4) राजस्व/86/2529 दिनांक 10.07.91 के अनुसार ख. नं. 520/2 रकबा 2 बीघा भूमि में से 40 X 40 = 1600 वर्ग गज अर्थात 1600 वर्ग गज भूमि को ही राज्य हित में वादीगण के पिता/पति अशोक कुमार ने पेट्रोल पम्प आवंटन हेतु समर्पित की गई है, का उल्लेख किया गया है, शेष भूमि पुनः खातेदार अशोक कुमार के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु वर्तमान में यह भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है।

श्रीमान जिला कलेक्टर महोद्य के आदेश दिनांक 10.07.1991 की पालना राजस्व कर्मचारियों को करनी थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आदेश की पालना नहीं करके भूल की है। अतः वादीगण ने तनकी नं. 1 को रिकॉर्ड दस्तावेज से बखूबी साबित किया है। अतः तनकी नं. 1 का निर्णय वादीपक्ष किया जाता है।

तनकी नं. 2 आया वादीगण 1600 वर्ग गज अर्थात 0.13 है0 समर्पित भूमि को ही राज्य सरकार के नाम लगानी चाहिए थी जबकि सेटलमेन्ट कमचारियों ने सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार के नाम सिवायचक दर्ज कर दी ? –वादीगण–

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही था। श्रीमान जिला कलेक्टर के संशोधित आदेश से क्रमांक एफ 7(4) राजस्व/86/2529 दिनांक 10.07.91 के अनुसार ख. नं. 520/2 रकबा 2 बीघा भूमि में से 40 X 40 = 1600 वर्ग गज अर्थात 1600 वर्ग गज भूमि को ही राज्य हित में वादीगण के पिता/पति अशोक कुमार ने पेट्रोल पम्प आवंटन हेतु समर्पित की गई थी जिसकी खातेदारी वादीगण के पिता/पति के नाम खातेदारी में दर्ज नही होने के कारण सेटलमेन्ट द्वारा सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दिया । उक्त तनकी को भी वादीगण द्वारा साबित करने को कारण इस तनकी का निर्णय वादीपक्ष किया जाता है।

तनकी नं. 3 आया वादीगण आराजी ख. नं. 520 रकबा 2 बीघा हाल ख. नं. 760/1453 रकबा 0.32 है0 भूमि को अपनी खातेदारी में उद्घोषित कराने का अधिकारी है ? –वादीगण–

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही था। तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार वादीगण के पिता/ पति द्वारा 1600 वर्ग गज भूमि अर्थात 0.13 है0 भूमि को राज्य सरकार को समर्पित कर दी गई थी। जिसके अनुसार वादीगण केवल 0.19 है0 भूमि को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट होत है कि वादीगण के पिता की भूमि ख. नं. 520 रकबा 2 बीघा अशोक कुमार पिता लालूराम बैरवा सा. टोंक खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी जिसमें पेट्रोल पंप आवंटन के लिए सहवन से अशोक कुमार द्वारा उसकी खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि को राज्य सरकार को समर्पित कर दी, बाद में इस त्रुटि का ज्ञान होने पर अशोक कुमार बैरवा द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर को पुनः संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने केवल 1600 वर्ग गज अर्थात भूमि को ही समर्पित माना शेष 0.19 है0 भूमि पुनः खातेदार के नाम वापस दर्ज होनी थी परन्तु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश 10.07.91 की पूर्ण पालना नहीं होने के कारण सेटलमेंन्ट द्वारा सम्पूर्ण भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया। जिस पर वर्तमान में गिरदावरी के अनुसार पेट्रोल पंप व खरीफ की फसल दर्ज है, का रिकॉर्ड है। अतः वर्तमान में वाके ग्राम सरोली के ख. नं. 760/1453 में से 0.13 है0 भूमि पर पेट्रोल पंप होने के कारण वादीगण को 0.19 है0 भूमि का खातेदारी अधिकारी

प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः हाल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ख. नं. 760/1453 रकबा 0.32 है0 में से 0.19 है0 भूमि के लिए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक...

उनवानी दावा :

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री अशोक कुमार जाति बैरवा निवासी टोंक राज0
2. मोहित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति बैरवा निवासी टोंक राज0
3. उर्वशी पुत्री श्री अशोक कुमार जाति बैरवा निवासी जाटा पाडा टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार जी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

— प्रतिवादीगण—

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 157 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री भगवान सिंह सोलंकी एवं आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

हाल जमाबन्दी सम्वत 2070—73 ख. नं. 760/1453 रकबा 0.32 है0 में से 0.19 है0 भूमि के लिए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....
.....................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 03 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		

मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए